10/9/020

B.A. (Part – II)
Paper – III

II

Problems of Agricultural Labours:

भारतीय कृषि में कृषि श्रमिक की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। इनकी निर्धनता इनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इनके पास न तो नियमित रोजगार की व्यवस्था है और न इनकी इतनी आमदनी ही है कि ये अपने परिवार के लिए दो समय का भोजन सरलता से जुटा सके। अतः भारत सरकार ने इन श्रमिकों की दयनीय दशा सुधारने के लिए सुझाव देने हेतु सर्वप्रथम सन् 1950 ई० में "खेतीहर मजदूर जाँच समिति" का गठन किया। इस समिति ने कृषि-श्रमिकों की स्थिति सुधारने के संबंध में अनेक सुझाव दिये, जिन्हें सरकार द्वारा क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात वर्ष 1956-57 में "द्वितीय खेतीहर मजदूर जाँच समिति" का गठन किया गया। इस समिति ने कृषि-श्रमिक को व्यापक अर्थों में परिभाषित करने का प्रयास किया। इस प्रकार कृषि श्रमिक की दशा सुधारने की दिशा में सन् 1950 में भारत सरकार का ध्यान गया।

Definition of Agricultural Labour:

कृषि श्रमिकों को विभिन्न संगठनों और समितियों द्वारा परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नांकित हैं:-

प्रथम कृषि-श्रमिक जाँच समिति, 1956-57

में कृषि-श्रमिक की परिभाषा देते हुए लिखा कि, "कृषि-श्रमिक वह है जिसकी आय का मुख्य साधन कृषि से प्राप्त मजदूरी है।"

राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार, कृषि-श्रमिक वह है जो मूलतः अकुशल एवं असंगठित है और जिसके पास जीविकोपार्जन के लिए अपने श्रम के अतिरिक्त लगभग और कुछ नहीं होता।"

इस प्रकार कृषि-श्रमिक उन व्यक्तियों को कहते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति की कृषि-भूमि पर एक श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं तथा उनको अपने परिश्रम का पुरस्कार नकद या जिन्स के रूप में प्राप्त होता है।

Classification of Agricultural Labour:-

कृषि-श्रमिक को कार्य की दृष्टि से निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं:-

1. खेतों पर कार्य करने वाले श्रमिक:- इस वर्ग के अन्तर्गत के श्रमिक आते हैं, जो खेतों में हल चलाते हैं, फसल की निराई-गुड़ाई करते हैं, पानी देते हैं, तथा फसल को काटते हैं। एक प्रकार से घरेलू काम से लेकर पशुओं की देख-भाल तक करते हैं।

2. साधारण श्रमिक:- खेतों पर प्रत्यक्ष रूप

से काम करने वाले श्रमिकों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी श्रमिक होते हैं जो कृषकों के कुओं को खोदने, खेतों के चारों ओर मेड़ों को बनाने, क्यारियाँ तथा नालियाँ बनाने, नालियों की मिट्टी निकालने आदि का कार्य करते हैं।

3. कुशल श्रमिक :- उपर्युक्त दोनों प्रकार के श्रमिकों के अतिरिक्त कृषकों को कुछ ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं की भी आवश्यकता होती है, जो कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से कृषि-कार्य में सहायता न देकर अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता करते हैं; जैसे- लुहार, बढ़ई, चमार आदि।

कार्य की अवधि की दृष्टि से कृषि-श्रमिकों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :-

1. संलग्न कृषि-श्रमिक :- ये वे श्रमिक होते हैं, जो सेवायोजक द्वारा एक लम्बी अवधि के लिए कृषि-कार्य के लिए लिखित या मौखिक समझौते के आधार पर रखे जाते हैं। प्रायः ये तीन माह से लेकर एक वर्ष या उससे भी लम्बी अवधि के लिए निश्चित वेतन पर रखे जाते हैं।

2. आकस्मिक कृषि-श्रमिक :- ये वे श्रमिक होते हैं, जो सेवा-योजक द्वारा मौसमी कार्यों को करने के

को करने के लिए थोड़े समय के लिए रखे जाते हैं। इनको प्रचलित दरों पर दैनिक मजदूरी दी जाती है। ये कहीं भी कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। उनकी नौकरी की भी कोई सुरक्षा नहीं होती है।

क्रमशः

धन्यवाद